रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II— Section 3 —Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2018/ आषाढ़ 5, 1940
No. 429] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2018/ASHADHA 5, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

सा.का.नि. 586(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, क्षेत्र परिचर (बहुकृत्यों सहित), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, क्षेत्र परिचर (बहुकृत्यों सहित), समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2., भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, क्षेत्र परिचर (बहुकृत्यों सहित), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में –

(i) नियम (1) में उप-नियम(1) हेतु, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, क्षेत्र परिचर (बहुकृत्यों सहित), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।"

(ii) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात.-

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रीक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(iii) अनुसूची में –

(क) स्तम्भ (4) में,-

(I) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात- "वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(II) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

"स्तर-1 (18,000-56,900/-रू.)"

(ख) स्तंभ 6 में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

"18 और 25 वर्ष की आयु के बीच।"

टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

[फा. सं. 02/01/2018-सी.एस.जेड]

मंजू पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में संदर्भ सं. सा. का. नि. 852 (अ) दिनाँक 27 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2018

G.S.R.586(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Field Attendant (with Multitasking), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Field Attendant (with Multitasking), Group 'C' Post Recruitment Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Field Attendant (with Multitasking), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012,-

   (i) in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Zoological Survey of India, Field Attendant (with Multitasking), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.";

(ii) for rule, 2 the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification, level in pay matrix .– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(iii) in the Schedule,-

(a) in column (4),-

(I) for heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(II) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-1 (Rs. 18,000-56,900/-).";

(b) in column (6), for entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Between 18 and 25 years of age.

Note1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.".

[F. No. 02/01/2018-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 852(E), dated the 27th November, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

सा.का.नि.587(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय परिचर (बहुकार्य कर्मचारी वृन्द) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय परिचर (बहुकार्य कर्मचारी वृन्द), समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय परिचर (बहुकार्य कर्मचारी वृन्द), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 में –

(i) नियम 1 में, उप-नियम(1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय परिचर (बहुकार्य कर्मचारी वृन्द), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।"

(ii) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थातः-

"2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(iii) अनुसूची में –

(क) स्तंभ 3 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा अर्थात:-

"साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय"

(ख) स्तंभ 04 में:-

(I) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात- "वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(II) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा,

अर्थात:- "स्तर-1 (18,000-56,900/-रू.)"

(ग) स्तंभ 6 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

"18 और 25 वर्ष की आयु के बीच"

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

[एफ. सं. 02/01/2018-सी.एस.जेड]

मंजू पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संदर्भ सं. सा. का. नि. 570 (अ) दिनाँक 21 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2018

G.S.R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Zoological Survey of India, Office Attendant (Multi Tasking Staff), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Zoological Survey of India, Office Attendant (Multi Tasking Staff), Group 'C' Post Recruitment Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Zoological Survey of India, Office Attendant (Multi Tasking Staff), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014,-

   (i) in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Zoological Survey of India, Office Attendant (Multi Tasking Staff), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014.";

(ii) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification, level in pay matrix .– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(iii) in the Schedule,-

(a) in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Non-Ministerial.";

(b) in column (4),-

(I) for the heading the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(II) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-1 (Rs. 18,000-56,900/-).";

(c) in column (6), for entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Between 18 and 25 years of age.

Note1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.".

[F. No. 02/01/2018-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 570(E), dated the 21st July, 2015.

.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.02 19:30:09 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.